

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

// विज्ञापन //

क्रमांक /459/LADCS / 2025

दंतेवाड़ा, दिनांक 23.07.2025

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि – 24/07/2025 सुबह 11:00 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 12/08/2025 संध्या 05:00 बजे तक
आवेदन प्रस्तुत करने का स्थान- कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

टीप:- कोरियर, ई-मेल, अथवा फैंक्स के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा निर्देशों के परिपालन में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के अंतर्गत कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) कर्मचारियों के निम्न रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों के अभ्यर्थियों से निधारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

रिक्त पदों का विवरण:-

क्र.	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	योग
01	कार्यालय सहायक/क्लर्क	01	01
02	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)	02	02

टीप:-

- क- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा के पास सुरक्षित रहेगा।
- ख- संविदात्मक पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्ति किये गये स्टाफ की उपस्थिति, कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

01. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) कार्यालय सहायक/क्लर्क पद के लिये—

अ— वेतनमान क्लास—सी :— संविदा एक मुश्त 15,000/—रु० (मासिक)

(ब) शैक्षणिक योग्यता —

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
(Educational Qualification: Graduation)
2. बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिये। (Basic word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data.)
3. पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है।
(Good Typing speed with proper setting of petition.)
4. श्रुतलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिये फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिये। (Ability to take dictation and prepare files for presentation in the Courts.)
5. फाइल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिये। (File maintenance and processing knowledge.)

(2) कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) पद के लिये:—

अ— वेतनमान क्लास—सी:— संविदा एकमुश्त 9,000/—रु०(मासिक)

ब— शैक्षणिक योग्यता :—

किसी मान्यता बोर्ड से न्यूनतम कक्षा पांचवी एवं अधिकतम कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण—पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

लाईट मोटर व्हीकल (एल०एम०व्ही०) लाइसेंसधारी आवेदक को चयन/नियुक्ति में प्राथमिता दी जावेगी।

नोट:— आवेदक को आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह कक्षा आठवीं से अधिक की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है। यदि आवेदक कक्षा आठवीं से अधिक की शैक्षणिक योग्यता रखता है तो उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जावे।

02. आयु एवं पात्रता

(कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी अटेन्डेंट))

01—रोजगार कार्यालय में पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)

- (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (ब) कोई पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (2) उम्मीदवार द्वारा दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।
- (3) किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।
- (4) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

03. उच्चतर आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी।

- (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी
- (2) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी वर्कचार्ज या कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजन क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।
- (3) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही

कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- (4) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप में आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (5) महिलाओं के लिये आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- (6) शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मों के रूप में सेवा की है, इसके लिये 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- (7) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा, महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- (8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (9) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।
- (10) शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिये 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- (11) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

नोट :- आयु सीमा में छूट हेतु सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

- (12) विक्रम पुरस्कार प्राप्त सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

उदाहरण:- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक -1 और 2 में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :- अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं नियोग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ0ग0 शासन) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

04. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुये बंद लिफाफे में जिसके ऊपर **आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो**, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.), पिन-494449 में **दिनांक 12/08/2025 की संध्या 5:00 बजे तक कार्यालय में रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट से प्रेषित करना होगा।**
2. दिनांक 12.08.2025 की संध्या 5:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन

प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर) की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिये आवेदन हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है।
5. विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा, जिला-दंतेवाड़ा के कार्यालयीन वेबसाइट <https://dantewada.dcourts.gov.in> में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
6. आवेदन पत्र में आवेदक का स्वप्रमाणित नवीनतम फोटो चस्पा होना चाहिये तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें
7. आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य है, वहां पर बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, फोटोग्राफ एवं आवेदित पद की अर्हता से संबंधित वांछित दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
8. आवेदक आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेवें, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तोवजों पर विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
9. आवेदन पत्र में किसी प्रकार की मूलभूत त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
10. प्राप्त आवेदन पत्रों की चयन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाइट—<https://dantewada.dcourts.gov.in> में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 3 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।

11. दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात पात्र आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला न्यायालय दंतेवाड़ा के वेबसाइट :<https://dantewada.dcourts.gov.in> पर अपलोड की जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे।

05. कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु चयन विधि

01. कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदात्मक) के रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर स्नातक की परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।
02. यदि अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिनके स्नातक के प्राप्तांक ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत दिये गये हैं, तो उनके प्राप्तांकों एवं ग्रेडिंग सिस्टम में प्राप्त अंको का मूल्यांकन कर उनके प्राप्तांको का मिलान शेष अभ्यर्थियों के प्राप्तांक से करते हुये पृथक से प्रावीण्य सूची तैयार की जा सकेगी और उसके आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) के पद हेतु कौशल परीक्षा

कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) के रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगा:—

कार्यालय सहायक/क्लर्क पद हेतु:—

- (अ) **कौशल परीक्षा** :— अभ्यर्थियों को लगभग 250 शब्द का हिन्दी गद्यांश दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। **कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी।** गद्यांश में प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा (1/2) अंक काटा जायेगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप में प्रत्येक अशुद्धि इत्यादि के लिए भी होगा। टाईपिंग में 40 या उससे अधिक त्रुटिया पाये जाने पर आवेदक को अनर्ह माना जावेगा। कौशल परीक्षा उबंटू/लाईनेक्स/लिब्रे—आफिस /विंडोज ओ.एस./एम.एस.वर्ड. कृति देव में ली जावेगी।

6. भृत्य (संविदा) नियुक्ति हेतु चयन विधि

- (अ) भृत्य (संविदा) के रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर पांचवी की परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- (ब) भृत्य पद के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होनी चाहिये। कक्षा आठवीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति/ अभ्यर्थी भृत्य के पद के लिये अपात्र माने जायेंगे। (तत्संबंध में अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)
- (स) यदि अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिनके 5 वीं के प्राप्तांक ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत दिये गये हैं, तो उनके प्राप्तांको के संबंध में छ.ग. के शिक्षा विभाग से ग्रेडिंग सिस्टम से संबंधित दिशा-निर्देशों तथा प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जा सकेगी और उसके आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। अंतिम प्राप्तांक के सभी अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, चाहे यह संख्या आवेदित पद के 10 गुना से अधिक हो।
- (द) भृत्य (संविदा) के पद के चयन हेतु दक्षता परीक्षा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा गठित भर्ती कमेटी द्वारा आयोजित की जा सकेगी। दक्षता परीक्षा में अंक प्रदान किये जाने का मापदंड समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। भिन्न प्रारूप में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (ध) अभ्यर्थियों के चयन का आधार दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक रहेंगे, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। दक्षता परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। जन्मतिथि भी समान होने पर आठवीं परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। यदि आठवीं में भी समान अंक हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी

- (न) भृत्य (संविदा) के पदों पर चयन हेतु 25 अंको की दक्षता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य के कुशलता इत्यादि बिन्दुओं पर रखा जावेगा।

07. चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची

01. कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदात्मक) के पद हेतु कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर एवं भृत्य (संविदा) के पद हेतु दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होनी की तिथि से एक माह तक प्रभावशील होगी। सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की वेबसाईट <https://dantewada.dcourts.gov.in> में एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा।
02. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को होगा।
03. कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में कक्षा 10 वीं (कार्यालय सहायक/क्लर्क हेतु) एवं कक्षा पांचवीं (भृत्य हेतु) की अंक सूची में उल्लेखित जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
04. कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने एवं समान जन्मतिथि होने की दशा में संबंधित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात् आफिस असिस्टेंट (संविदा) हेतु स्नातक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंक प्रतिशत के आधार पर तथा भृत्य (संविदा) के पद हेतु कक्षा पांचवीं में प्राप्त किये गये अंक प्रतिशत के आधार पर वरीयता दी जावेगी अर्थात् जिस अभ्यर्थी द्वारा अधिक अंक प्रतिशत अर्जित किये गये होंगे, उसे वरीयता दी जावेगी।

08. महत्वपूर्ण निर्देश

1. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
3. चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
4. चयनित उम्मीदवारों के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी दावेदारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
6. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाइट—<https://dantewada.dcourts.gov.in> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र कॉलम में नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा, साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र या पेन कार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
7. कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
8. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।
9. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
10. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधि सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
11. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त अवधि के पश्चात सूचना के अधिकार

अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिये आवेदन मान्य नहीं होगा।

महत्वपूर्ण टीप:-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्हमान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दावेदारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने की स्थिति में, कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

 24/7/15

अध्यक्ष

चयन समिति,

कार्या0जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु

प्रति,

कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश/
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Passport
Size Photo
With
Signature

01. आवेदित पद का नाम :-.....
02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :-.....
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में)
03. लिंग पुरुष संकेतक- महिला संकेतक-2:
04. पिता/पति का नाम :-.....
05. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :-.....
(हिन्दी में) :-.....
:-.....
(ब) स्थाई पता :-.....
:-.....
06. (अ) जन्मतिथि (अंको में) :-.....
(शब्दों में) :-.....
(ब) दिनांक 01/01/2025 को आयु.....वर्ष.....माहदिन
07. आवेदक का मोबाईल नंबर :-.....
08. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। हां/नहीं :
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी का जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

09. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा :-.....

छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम

अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ :-.....

अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

11. क्या आप विवाहित है ? हां/नहीं :-.....

12. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :-.....

13. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता :-.....

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	शाला का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत/ग्रेड
1	2	3	4	5	6	7

14. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय :-.....

संस्था में सेवारत है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

15. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

टीप:- प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुक्रम में संलग्न करे। प्रमाण पत्र का नाम संलग्न है/संलग्न नहीं।

01. 10 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र.....
02. 12 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र.....
03. स्नातक की अंकसूची प्रमाण पत्र.....
04. अनुभव/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र.....
05. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र.....
06. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र.....
07. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र
08. अन्य:-.....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि ये झूठ पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक:-

स्थान:-

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नं.

ई-मेल-

आवेदन पत्र का प्रारूप

कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेंडेंट) (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु

प्रति,

कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश/
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Passport
Size Photo
With
Signature

01. आवेदित पद का नाम :-.....
02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :-.....
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में)
03. लिंग पुरुष संकेतक- महिला संकेतक-2:
04. पिता/पति का नाम :-.....
05. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :-.....
(हिन्दी में) :-.....
:-.....
(ब) स्थाई पता :-.....
:-.....
06. (अ) जन्मतिथि (अंको में) :-.....
(शब्दों में) :-.....
(ब) दिनांक 01/01/2025 को आयु.....वर्ष.....माहदिन
07. आवेदक का मोबाईल नंबर :-.....
08. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। हां/नहीं :
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी का जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

15. अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
16. क्या आप निर्धारित आयु सीमा में छूट चाहते हैं?.....
हां/नहीं
15. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:—
01.
02.
03.
04.
05.

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि ये झूठ पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक:—

स्थान:—

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नं.

ई-मेल—